ALL INDIA POWER ENGINEERS FEDERATION

(REGISTERED UNDER SOCITIES ACT XXI of 1860), Regd. No. 24085/93
REGD HEAD OFFICE B-1A/45A, Janakpuri, New-Delhi-10058
Corres. Address of CHAIRMAN-Hydel Field Hostel, 17 Rana Pratap MargLucknow-226001
M: 09415006225 Phone : 0522-4107706(Off), FAX:0522-2205417/0522-4079628
Email : ersdubey@yahoo.com/: ersdubeylko@gmail.com&chairmanaipef@gmail.com

No. 72 - 2021/EA Bill 2021 25 - 11 - 2021

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय: संसद में बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 पेश करने से पहले भारत सरकार की पूर्व-विधान परामर्श नीति (पीएलसीपी) को अपनाया जाए।

आदरणीय महोदय,

पता चला है कि भारत सरकार ने बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 को 29 नवंबर 2021 से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है।

2. बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 के संसद में पेश किए जाने संदर्भ में, यह याद रखा जाये कि भारत सरकार ने पूर्व विधायी परामर्श नीति (पीएलसीपी) को अंतिम रूप दिया और जारी/परिचालित किया था जिसे किसी भी कानून को पेश करने से पहले लागू किया जाना चाहिए। भारत सरकार के सचिव, कानून और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग भारत सरकार के सभी सचिवों को संबोधित डीओ पत्र दिनांक 05-02-2014 के माध्यम से और कैबिनेट सचिव ने पीएलसीपी को चार बिंदुओं में संक्षेप में प्रस्तुत किया था ...

• पीएलसीपी पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और सरकार को बेहतर जानकारी देता है।
• विधेयकों को पहले मसौदा रूप में पूर्व विधायी जांच के साथ प्रकाशित किया जाना चाहिए।
• वस्तुओं और कारणों का विवरण होना चाहिए।
• कैबिनेट को कोई भी विधायी प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले पीएलसीपी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।

पीएलसीपी नीति को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 10 जनवरी 2014 को आयोजित सचिवों की बैठक में अंतिम रूप दिया गया था। उसके प्रमुख बिंदु हैं:

1. प्रस्तावित कानून को सक्रिय रूप से प्रकाशित करें।
2. प्रस्ताव को कम से कम 30 दिनों के लिए पब्लिक डोमेन में रखा जाए।
3. व्यापक प्रचार के लिए प्रभावित लोगों में प्रस्तावों को परिचालित किया जाए।
4. नियमों के पूर्व प्रकाशन का प्रावधान आवश्यक है।
5. प्रत्येक मसौदा कानून में एक व्याख्यात्मक नोट होना चाहिए जिसमें प्रमुख कानूनी प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया गया हो।
6. जनता से फीडबैक/टिप्पणियां संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट पर डाली जाएं।
7. मंत्रालय सभी हितधारकों के साथ परामर्श करेगा।
8. कानूनी जांच और अंतर-मंत्रालयी परामर्श की आवश्यकता है।
9. मंत्रालय आपत्तियों का सारांश कैबिनेट नोट में संकलित करेगा।
10. संसद की संबंधित स्थायी समिति के समक्ष सारांश को पेश करें।
11. यदि किसी कारणों से पीएलसीपी को लागू करना संभव नहीं तो उसके कारण कैबिनेट में नोट में लिखे जायें।

12. संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली में संशोधन कर पीएलसीपी को उसमें शामिल किया जाये।

3. पूर्व विधायी परामर्श नीति (पीएलसीपी) को अनिवार्य करने वाली भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नीति संलग्न है। एआईपीईएफ आपसे अनुरोध करता है कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि 5 फरवरी 2014 के डीओ पत्र में पेश पीएलसीपी नीति और 10 जनवरी 2014 को लिए गए निर्णय पहली नीति के रूप में भारत सरकार द्वारा अक्षरश: लागू किये जा रहे हैं क्योंकि यह एक प्रलेखित निर्णय है जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया है। इस निर्णय के आलोक में बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 को वापस लिया जाना चाहिए और विधेयक को भारत सरकार की अनुमोदित पीएलसीपी नीति के अनुसार अंतिम रूप दिया और पेश किया जाये। पीएलसीपी वास्तव में सभी हितधारकों के प्रस्तावों की सहभागी भूमिका का पालन करने के लिए प्रसंस्करण का संकलन है।

सादर धन्यवाद।

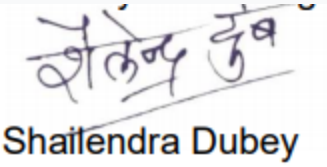

Shailendra Dubey

Chairman

सीसी: 1. मुख्यमंत्री - सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को संसद में बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 पेश करने से पहले पूर्व विधान परामर्श नीति (पीएलसीपी) भारत को अपनाने पर जोर देना चाहिए।

2. श्री आर के सिंह, ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली